

वित्त समिति दिनांक 07/02/2019

अन्य विषय (अध्यक्ष महोदय की अनुमति से) 16

प्रस्ताव सं० : 01

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में संचालित पी-एच.डी./डी.लिट्/डी.एस.सी. प्रस्तावित दरों के विचारार्थ प्रस्तुत।


छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
पी-एच.डी./डी.लिट्/डी.एस.सी. हेतु प्रस्तावित दरों का विवरण


क्र.सं.	प्रस्तावित मदक का नाम	अनुमोदित/प्रस्तावित दरें
1	पी-एच.डी. प्रवेश परीक्षा शुल्क (सा0/पि0 वर्ग)	1,500/-
2	पी-एच.डी. प्रवेश परीक्षा शुल्क (आ0/अ0ज0जा0/विकलांग)	1,000/-
3	पी-एच.डी. हेतु कोर्स वर्क शुल्क (सा0/पि0 वर्ग)	25,000/-
4	पी-एच.डी. हेतु कोर्स वर्क शुल्क (आ0/अ0ज0जा0/विकलांग)	12,500/-
5	पी-एच.डी. सिनाप्सिस जमा करने पर तथा शोध उपाधि समिति शुल्क	5,000/-
6	पी-एच.डी. सिनाप्सिस पुनः जमा करने पर तथा शोध उपाधि समिति शुल्क	2,500/-
7	प्रगति आख्या शुल्क (प्रत्येक छः माह) (Progress of Research Work)	2,000/-
8	शोध प्रबंध मूल्यांकन शुल्क	10,000/-
9	पुनः परिमार्जित शोध प्रबंध मूल्यांकन शुल्क	5,000/-
10	मौखिकी परीक्षा शुल्क	6,000/-
11	डी.लिट्/डी.एस.सी. आवेदन पत्र शुल्क	10,000/-
12	डी.लिट्/डी.एस.सी. पंजीकरण शुल्क (Processing for Pegistration)	15,000/-
13	डी.लिट्/डी.एस.सी. शोध प्रबंध मुल्यांकन शुल्क (Presubmission)	20,000/-

अतः समिति के समक्ष उपरोक्त प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।

संतान्न उपरोक्त प्रस्ताव को वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी।

अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।


(धीरेन्द्र कुमार तिवारी)
वित्त अधिकारी/सचिव


(प्रो. नीलिमा गुप्ता)
कुलपति/अध्यक्ष

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

संदर्भ : CSJMU/FO-Camp/476/2017



कल्यानपुर, कानपुर-24
KALYANPUR, KANPUR-24
दिनांक : 22-04-2017

कार्यालय आदेश

वित्त समिति की बैठक दिनांक 17.03.2017 के प्रस्ताव संख्या-06 में की गई सन्तुतियों एवं कार्य परिषद की बैठक दिनांक 29.03.2017 के नद संख्या-03 के अनुमोदनोपरान्त निर्णय लिया गया कि ऐसे सभी छात्र/छात्राओं जो विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर किन्हीं कारणों द्वारा अध्ययन जारी न किये जाने के कारण प्रवेश हेतु कुल जमा शुल्क धनराशि की वापसी हेतु आवेदन किये जाने पर सत्र 2016-2017 से निम्नवत् व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया-

- 1- प्रवेश की अन्तिम तिथि के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त होने पर शिक्षण शुल्क में से धनराशि रु0 1,000/-काट कर शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।
- 2- शिक्षण शुल्क जमा करने की तिथि से एक माह के अन्दर आवेदन करने पर शिक्षण शुल्क में से धनराशि रु0 5,000/- काट कर शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।
- 3- शिक्षण शुल्क जमा करने की तिथि से एक माह के पश्चात व 02 माह के अन्तर्गत आवेदन करने पर शिक्षण शुल्क में से धनराशि रु0 10,000/- काट कर शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।
- 4- शिक्षण शुल्क जमा करने की तिथि से 02 माह के पश्चात आवेदन करने पर शिक्षण शुल्क की धनराशि व्ययगत हो जायेगी।

एतद्वारा उपर्युक्त के अनुपालन की अनुमति प्रदान की जाती है।

(सन्ध्या मोहन)
वित्त अधिकारी

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. उपकुलसचिव (लेखा)।
3. उपकुलसचिव (प्रशा)।
4. वित्त एवं लेखाधिकारी।
5. वैयक्तिक सहायक परीक्षा-निर्वाहक।
6. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव।
7. समस्त विभाग के निदेशक/विभागाध्यक्ष/वाडें।
8. इंसाज, कम्प्यूटर लेखा व्यय विभाग।
9. श्री राजेन्द्र कुमार कनिष्ठ लेखा लिपिक, लेखा व्यय विभाग।

(सन्ध्या मोहन)
वित्त अधिकारी